छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 01/2006

याचिकाकर्ता (प्रतिवादीगण):

1. सुंदर बाई, पति चंपालाल जैन, आयु लगभग 60 वर्ष,
2. दीपचंद, आयु लगभग 45 वर्ष, पिता चंपालाल जैन
3. क. श्रीमती संतोष भंसाली, आयु लगभग 37 वर्ष, पति टोडरमल भंसाली,
3. ख. अमित भंसाली, आयु लगभग 14 वर्ष, पिता टोडरमल भंसाली
3. ग. मुकेश भंसाली, आयु लगभग 10 वर्ष, पिता टोडरमल भंसाली
3. घ. सुमित भंसाली, आयु लगभग 8 वर्ष, पिता टोडरमल भंसाली,
4. भागचंद, आयु लगभग 35 वर्ष, पिता चंपालाल जैन,
5. लूणकरण, आयु लगभग 30 वर्ष, पिता चंपालाल जैन,
6. संतोष, आयु लगभग 27 वर्ष, पिता चंपालाल जैन,
   निवासी ग्राम डौंडीलोहारा, तहसील डौंडीलोहारा, जिला दुर्ग.
7. श्रीमती ढेलाबाई, आयु लगभग 36 वर्ष, पति महावीर संचेती, निवासी शनिचरी बाजार, दुर्ग.
8. श्रीमती निर्मलबाई, आयु लगभग 32 वर्ष, पति नरेंद्र बरड़िया, निवासी सदर बाजार, जिला धमतरी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण(वादी):

1. जगदेव सिंह, आयु लगभग 60 वर्ष, पिता रघुनाथ सिंह ठाकुर, निवासी डौंडीलोहारा,जिला दुर्ग.
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, दुर्ग।

<u>व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 115 के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका</u>

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 01/2006

सुंदर बाई एवं अन्य

विरुद्ध

जगदेव सिंह एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठः माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

दिनांक 19.12.2006 को प्रकरण आदेश हेतु सूचीबद्ध करें ।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश
19.12.2006

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 01/2006

एकल पीठ: माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

सुंदर बाई एवं अन्य

विरुद्ध

जगदेव सिंह एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा सहित श्री आनंद शुक्ला।
- प्रत्यर्थी क्रमांक 1/वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री पूजा श्रीवास्तव।

आदेश

(दिनांक 19 दिसंबर 2006 को उद्घोषित)

यह सिविल पुनरीक्षण, अपर जिला न्यायाधीश, बालोद, जिला-दुर्ग द्वारा विविध सिविल अपील क्रमांक 10/2001 में पारित आदेश दिनांक 30-08-2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बालोद, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा विविध व्यवहार वाद क्रमांक 04/2000 में वादी के आवेदन दिनांक 11-

09-2001, जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-9 नियम-9 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था, को निरस्त करने के आदेश को अपास्त कर दिया गया था।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि व्यवहार वाद क्रमांक 04/2000 में, प्रत्यर्थी/वादी के अधिवक्ता ने वादी की बीमारी के आधार पर दिनांक 27-03-2000 को स्थगन चाहा था। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने यह संज्ञान लिया कि व्यवहार वाद 1991 से लंबित था और वादी इसके शीघ्र निराकरण में कोई पहल नहीं कर रहा था। हालांकि, बताए गए कारण पर विचार करते हुए, उसने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 07-04-2000 को उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए स्थगन प्रदान कर दिया। यह भी निर्देशित किया गया था कि वाद भूमि के सीमांकन हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-26 नियम-9 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन (अं.आवेदन क्रमांक 21) का विनिश्चय वादी का साक्ष्य लेखबद्ध करने के पश्चात किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दिनांक 07-04-2000 को, वादी अपने अधिवक्ता श्री जे.पी. कन्नौजे के साथ उपस्थित हुआ और प्रार्थना की कि आवेदन (अं.आवेदन क्रमांक 21) का विनिश्चय पहले किया जाए। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और वादी को अपना साक्ष्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वादी ने पुनः प्रार्थना की कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 के अंतर्गत उसके आवेदन (अं.आवेदन क्रमांक 21) का निराकरण पहले किया जाए क्योंकि वह उस आवेदन पर तर्क करने के लिए तैयार था। उक्त प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को

अपनी साक्ष्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया। तथापि, वादी ने ऐसा करने से इंकार कर दिया और कथन किया कि उसने एक नए अधिवक्ता श्री भारद्वाज को नियुक्त किया है जो उपस्थित नहीं हैं और उसने उसी दिन अर्थात दिनांक 07-04-2000 को श्री भारद्वाज का वकालतनामा प्रस्तुत किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन प्रदान करने से इंकार कर दिया और व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-17 नियम-2 के अंतर्गत वाद को खारिज करने का आदेश पारित कर दिया।

4. वादी ने वाद की पुनर्स्थापना हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-9 नियम-9 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया। विद्वान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बालोद, जिला-दुर्ग ने उक्त आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादी के पास दिनांक 04-2000 को साक्ष्य प्रस्तुत न करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था। उक्त आदेश से व्यथित होकर, वादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने अपर जिला न्यायाधीश, बालोद, जिला-दुर्ग के न्यायालय में विविध सिविल अपील क्रमांक 10/2001 प्रस्तुत की। आक्षेपित आदेश द्वारा, इस विविध सिविल अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय को वादी का साक्ष्य लेखबद्ध करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के सीमांकन हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 के अंतर्गत आवेदन का विनिश्चय करना चाहिए था। यह भी अवधारित किया गया कि व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बालोद को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि वादी द्वारा नियुक्त किए गए नए अधिवक्ता श्री भारद्वाज भी उपस्थित नहीं थे। इसमें यह भी अभिनिर्धारित किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-17 नियम-2 के अंतर्गत वाद को खारिज करने का आदेश पारित किया था, इसलिए वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक और अवसर प्रदान करते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था। परिणामस्वरूप, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बालोद, जिला दुर्ग द्वारा विविध व्यवहार वाद क्रमांक 04/2000 में दिनांक 11-09-2001 को पारित आदेश अपास्त किया गया और अधीनस्थ न्यायालय को वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान करने के निर्देश के साथ व्यवहार वाद क्रमांक 187-अ/1998 को पुनर्स्थापित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादीगण/याचिकाकर्ताओं ने यह सिविल पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा ने तर्क दिया कि दिनांक 07-04-2000 को, विद्वान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बालोद, जिला-दुर्ग को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-17 नियम-3 के अंतर्गत कार्यवाही करनी चाहिए थी और न कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-17 नियम-2 के अंतर्गत क्योंकि न्यायालय द्वारा दिनांक 27-03-2000 को दिए गए स्पष्ट निर्देश के बावजूद, वादी, यद्यपि उपस्थित था, अपना साक्ष्य प्रारंभ करने में विफल रहा था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **रामराव मारोतराव एवं अन्य विरुद्ध शांतिबाई विधवा माधोराव एवं अन्य**[1] के प्रकरण में दी गई पूर्ण पीठ के निर्णय का अवलंब लिया गया। इस आधार पर, यह तर्क दिया गया कि विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, बालोद, जिला-दुर्ग द्वारा

1 1977-M.P.L.J. - Page Number-364

पारित आक्षेपित आदेश विधि के विपरीत था और अपास्त किए जाने योग्य था। दूसरी ओर, आक्षेपित आदेश के समर्थन में तर्क देते हुए प्रत्यर्थी क्रमांक 1/वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री पूजा श्रीवास्तव ने यह तर्क दिया कि चूंकि विद्वान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बालोद, जिला-दुर्ग ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-17 नियम-3 के अंतर्गत कार्यवाही न करने तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-17 नियम-2 के अंतर्गत वाद को खारिज करने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया था, इसलिए वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम और निर्णायक अवसर प्रदान करने वाला आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के उपरांत, मैंने इस सिविल पुनरीक्षण के साथ याचिकाकर्ता द्वारा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है। अनुलग्नक पी/2 याचिकाकर्ता द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया एक आवेदन है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 9 डिसमिल क्षेत्र में वाद भूमि के सीमांकन के संबंध में एक गंभीर विवाद था। व्यवहार वाद क्रमांक 187-अ वर्ष 1998 में आदेश पत्रिका दिनांक 27.03.2000 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी ने वाद भूमि के सीमांकन हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था क्योंकि इससे व्यवहार वाद में उत्पन्न विवाद का निर्णायक समाधान हो जाता। यह भी प्रतीत होता है कि दिनांक 07.04.2000 को वादी ने विचारण न्यायालय से पुनः निवेदन किया था कि वह आवेदन पर तर्क करने के लिए

तैयार है। वाद की प्रकृति को देखते हुए, विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, बालोद का यह मत था कि विचारण न्यायालय को साक्ष्य लेखबद्ध करने की कार्यवाही करने से पूर्व व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 के अंतर्गत आवेदन पर विचार करना चाहिए था क्योंकि वाद भूमि के सीमांकन से वाद भूमि की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित होकर न्यायालय को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता मिलती। यह भी प्रतीत होता है कि वादी ने दिनांक 07.04.2000 को पहली बार अधिवक्ता श्री भारद्वाज का वकालतनामा प्रस्तुत किया था और इस आधार पर स्थगन के लिए भी प्रार्थना की थी।

7. यह सत्य है कि वादी दिनांक 07.04.2000 को अपने अधिवक्ता श्री जे.पी. कन्नौजे के साथ उपस्थित था और पूर्व की तिथि पर उसे न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2000 को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। यद्यपि विद्वान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 3 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते थे, तथापि उन्होंने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 2 के अंतर्गत कार्यवाही करने का विकल्प चुना। प्रकरण के इस परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि चूंकि विचारण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 2 के अंतर्गत कार्यवाही की, अतः व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-9 नियम-9 के अंतर्गत आवेदन पोषणीय नहीं होगा, अस्वीकार्य है। **गोवर्धन बद्रीलाल महाजन एवं अन्य विरुद्ध गणेश बालकृष्ण देशमुख**[2] के प्रकरण में दिए गए निर्णय से मेरे इस दृष्टिकोण को बल मिलता है। उस प्रकरण में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 1962-M.P.L.J-Page Number-325

अपीलार्थी के द्वारा व्यतिक्रम किये जाने के कारण वाद को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-17 नियम-3 के अंतर्गत खारिज कर दिया गया था, भले ही व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-17 नियम-2 के प्रावधान अधिक उपयुक्त थे। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलीय न्यायालय इस खारिजी को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-17, नियम-2 सहपठित आदेश-9, नियम-8 के अंतर्गत खारिजी नहीं मान सकता और इसे व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-9, नियम-9 के अंतर्गत अपास्त नहीं कर सकता। निम्नानुसार संप्रेक्षण किया गया था:

> "यदि कोई न्यायालय विधि के किसी विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत कार्य करने का तात्पर्य रखता है, तो निर्णय का आकलन उसी प्रावधान के संदर्भ में किया जाना चाहिए और उस फोरम का निर्धारण भी उसी प्रावधान के संदर्भ में किया जाना चाहिए जो उस निर्णय की शुद्धता का परीक्षण करता है। यह एक न्यायालय वास्तव में जो करता है, वही फोरम का निर्धारण करता है और अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करता है, न कि वह जो उसे करना चाहिए था। परिणामस्वरूप, जहां व्यवहार प्रक्रिया संहिता के किसी विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कोई डिक्री पारित की गई है, चाहे वह कितनी भी त्रुटिपूर्ण क्यों न हो, उसका उपचार उसी प्रावधान द्वारा प्रदत्त अनुसार होगा अर्थात् अपील या पुनरीक्षण द्वारा। ए.आई.आर. 1954 इलाहाबाद 222, अनुसरित; ए.आई.आर. 1927 लाहौर 562 (1), ए.आई.आर. 1923 पटना 223 और ए.आई.आर.-1954 पेप्सू 55, अवलंबित।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. विचार हेतु केवल यही बिंदु शेष रह जाता है कि क्या विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ने विविध सिविल अपील क्रमांक 10/ 2001 को स्वीकार करने तथा वादी को साक्ष्य

प्रस्तुत करने का एक अंतिम अवसर प्रदान करने में त्रुटि की है। विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ने उचित रूप से इस तथ्य को विचार में लिया कि वादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 26 नियम 9 के अंतर्गत आवेदन पर पहले विचार किया जाना चाहिए था क्योंकि वाद भूमि के सीमांकन से वाद में अंतर्ग्रस्त विवाद का निर्णायक समाधान हो जाता। प्रकरण के इस परिप्रेक्ष्य में, विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, बालोद द्वारा वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पारित किए गए सुविचारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं खोजी जा सकती।

9. परिणामस्वरूप, यह सिविल पुनरीक्षण गुणदोष रहित होने के कारण विफल होता है और तदनुसार खारिज किया जाता है। विद्वान व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बालोद को निर्देशित किया जाता है कि वे व्यवहार वाद क्रमांक 187-अ वर्ष 1998 का शीघ्र निराकरण करें, अधिमानतः आज से छह माह के भीतर। रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति विद्वान व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बालोद को प्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक

प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur